

सं० 31011/1/77-स्थापना(क)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 1 अक्टूबर, 1977

कार्यालय नमूना

विषय: - छुट्टी यात्रा रियायत योजना से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण तथा सुदृढीकरण- कृत्तकवल(टास्क फोर्स) की सिफारिशों।

मुझे यह खबर का निर्देश हुआ है कि छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन केन्द्रिय सरकार कर्मचारियों के दावों को नियमित किए जाने की क्रियाविधि के सुदृढीकरण तथा सरलीकरण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है उक्त मामले का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उक्त फोर्स की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समूचे समूह पर पथ-संशोधित छुट्टी यात्रा रियायत की विद्यमान योजना को नोचे निर्दिष्ट सीमा तक तत्कालिक प्रभाव से संशोधित किया जाएगा :-

- (I) किसी कर्मचारी द्वारा होम टाउन को घीषणा करने पर उसको विस्तार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी द्वारा आरम्भ में की गई घीषणा को खोज कर लिया जाए और विस्तृत जांच केवल तभी की जाये जब वह इसमें परिवर्तन चाहता हो।
- (II) छुट्टी यात्रा रियायत की आग्रिम निराशा निर्धारण अधिकारी को जकार विभाग के अध्यक्ष द्वारा मंजूर को जाए।
- (III) जिसकोटे से छोट मार्ग द्वारा यात्रा को जानो है, यदि वह मार्ग दुर्घटनाओं अथवा अन्य कारणों से रुक जाता है तो यात्रा फिर गए वास्तविक मार्ग से प्रतिपूर्ति मंजूर करने को शक्ति का प्रयोग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को जकार नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) के परामर्श की तरह ही किया जाए।
- (IV) प्रथम 400 कि०मी० (समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में 160 किलो मीटर) के लिए की जाने वाली कटौती को राशि क,

अथवा ग में से जो भी कम है: अर्धे होगी और जिसका हिसाब नीचे विचार अनुसार लगाया जाएगा ।

क: यह वह किराया होगा जिसका हिसाब रेल किराया सारिणी से प्रथम 400 कि० मीटर के लिए ऐसी वास्तविक श्रेणी द्वारा लगाया जाएगा जिसके द्वारा यह मात्रा को गई है ।

ख: यह कुल वास्तविक किराए का वह अनुपात होगा जो श्रेणी को गई दूरी के 400 कि०मीटर पर लगता है ।

दृष्टांत के लिए उदाहरण । तथा ।। नीचे दिए जाते हैं :-
फिर भी, यदि प्रारम्भिक 400 कि०मी० (समूह 'ब' कर्मचारियों के लिए 160 कि०मी०) के अंश की रेल यात्रा अपनी हकदारों को श्रेणी से उच्चतर श्रेणी द्वारा की गई है तो अप्राधिकृत श्रेणी द्वारा यात्रा के अधिक किराए पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और जो जाने वाले कटौती का हिसाब ऊपर बताए अनुसार इस प्रकार लगाया जाएगा मानों कि यात्रा अप्राधिकृत श्रेणी से नहीं की गई है ।"

दृष्टांत :-

उदाहरण :-

प्रारम्भ की 600 कि०मी० को यात्रा श्रेणी ।। से और शेष 900 कि० मी० को यात्रा श्रेणी । से	
600 कि०मी० का श्रेणी ।। का किराया	₹ 27-00
900 कि०मी० का श्रेणी । का किराया	₹ 143-00
-----	-----
1500 कि०मी० वास्तविक किराया	₹ 170-00
जिसका भुगतान किया गया	

क- श्रेणी ।। से प्रथम 400 कि०मीटर का वास्तविक किराया	₹ 18-40 (रेल किराया सारिणी से)
अथवा 400 कि०मी० का सामान्यतात्मिक	₹ 45-33
ख- किराया <u>400x170</u> 1500	
सरकारों कर्मचारों का शेयर (क अथवा ख जो भी कम हो)	₹ 18-40

उदाहरण - II

प्रथम 600 कि०मी० की यात्रा श्रेणी I से तथा शेष 900 कि०मी० श्रेणी II से :-

600 कि०मी० का श्रेणी-I का किराया	₹ 107.00
900 कि०मी० का श्रेणी II का किराया	₹ 37.75
-----	-----
1500 कि०मी० कुल किराया	₹ 144.75
जिसका भुगतान दिया गया	-----

क- प्रथम 400 कि०मी० का ₹ 75.00 (रेल किराया परिणो से)
श्रेणी I से किराया

ख- 400 कि०मी० का सामान अनुपातिक किराया
$$\frac{400 \times 144.75}{1500} = ₹ 38.60$$

सरकारी कर्मचारों का शेयर
(क अपना व जी भी सम ही) ₹ 38.60

(V) विद्यमान हटा पावन्दों को कि जब सरकारी कर्मचारों के परिवार द्वारा यात्राएँ ग्रुपों में की जाती हैं तो आबिरो ग्रुप की अपनी वरिष्ठान्ना प्रथम ग्रुप की वरिष्ठान्ना के आरम्भ से 6 मास के भीतर आरम्भ करने होती है, हटा दिया गया है। समय सोझाए निर्धारण करने को कोई आवश्यकता नहीं होगी।

झिवाव इसके कि उक्त रिजायत भिन्न भिन्न ग्रुपों की उसी सब्ब ब्लॉक से दौरान उपलब्ध होगी जिसके लिए प्रथम ग्रुप ने अपनी यात्रा की थी। छुट्टी यात्रा रिजायत की अन्य ऐसे ग्रुपों द्वारा जिन्होंने यात्रा का लाभ नहीं उठाया है, अगि से जाए जाने को अनुमति तब भी दी जायगी जबकि एक ग्रुप ने इसका लाभ स्वयं ब्लॉक की अवधि में ले लिया हो।

(IV) होम टाऊन की यात्रा के लिए दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार तथा भारत में किसी भी स्थान के लिए चार वर्षों में एक बार यात्रा करने को छुट्टी यात्रा रिजायत सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान दोनों और से लिए दो जायंगे बशर्ते कि वापसी यात्रा सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त होने से पहले पूरे होगई हो।

(V11) गृह मंत्रालय के दिनांक 11-12-1958 के का०शा०अ०43/10/58-आ०(क) के अनुसार अखीवृत हुट्टो तथा इर्मिनल हुट्टो के दौरान मुख्यालय से होम टाउन तक बर्हिवात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी तथा उनके परिवार को जो हुट्टो यात्रा रिजायत इस समय खोकार्य ह, वह जगि से खोकार्य नही होगी ।

2- जहाँ तक भारतीय सेवा परीक्षा तथा सेवा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, वे जदिश भारत के निर्धक्क तथा महासेवा परीक्षा के परामर्श से जारी किए गए है ।

आ.सी०गुप्ता

(जा०सी० गुप्ता)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग